"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2002—आषाढ़ 31, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 4798A/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 8 सन् 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(वर्ष 2002 का क्रमांक 8)

छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2002

छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 को संशोधित करने के लिये अध्यादेश.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये, छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 बनाये गये थे, जो दिनांक 15 मई, 2002 के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे,

यत: उक्त नियमों के नियम 6.3 में आये हुए शब्दों "राज्य सरकार के अधीन" के अर्थ में के बारे में समस्त संभव अस्पष्टताओं को समाप्त करने के, तथा इन शब्दों के अर्थ को और स्पष्ट तथा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियम 6.3 में संशोधन करते हुये उसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ना समीचीन समझा गया,

यत: राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2002 होगा.

   (2) यह 15 मई, 2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल नियम के नाम से निर्दिष्ट है) इस अध्यादेश की धारा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुये प्रभावी होगा.

नियम 6.3 में स्पष्टीकरण का अंत:स्थापन.

3. मूल नियम के नियम 6.3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

   "**स्पष्टीकरण :** ऊपर दिये गये नियम 6.3 के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के अधीन" में, 1 नवंबर, 2000 के पूर्व विद्यमान राज्य सरकार तथा उस क्षेत्र के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित विद्यमान क्षेत्र हो, सम्मिलित है तथा सदैव सम्मिलित समझा जायेगा."

4. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उक्त नियमों के नियम 6.3 के उपबंधों के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई, संपादित की गई प्रक्रियाएं, या कोई अन्य बात, इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई या चालू की गई समझी जायेंगी. व्यावृत्ति.

रायपुर :
दिनांक 22-7-2002

(दिनेश नंदन सहाय)
राज्यपाल,
छत्तीसगढ़ राज्य.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2002

क्रमांक 4798A/21-अ/प्रारुपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 8 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHYADESH
(No. 8 of 2002)

CHHATTISGARH MEDICAL SNATKOTTAR PRAVESH PAREEKSHA NIYAM, 2002 (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2002

An ordinance to make an amendment in the Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002.

An Ordinance promulgated by the Governor in the Fifty third Year of the republic of India.

Whereas, the State Government of Chhattisgarh has framed and published in the official gazette dated 15th may 2002, rules for admission to Post Graduate Medical degree and Post-Graduate Medical diploma courses known as Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002.

And whereas, with a view to remove all possible ambiguity with regard to the meaning of the words "under the State Government" occuring in rule 6.3 of the said rules, and to make its meaning more clear and explicit, it has been considered expedient to amend rule 6.3 and add an Explanation to the said rule,

And whereas, the State Legislature is not in session, and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This ordinance may be called the Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002 (Sanshodhan) Adhyadesh, 2002.

(2) It shall come into force from 15th May 2002.

Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this ordinance the Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002 (hereinafter referred to as the Principle Rules), shall have effect subject to the amendments specified in section 3 and 4 of this ordinance.

Insertion of Explanation in rule 6.3.

3. After rule 6.3 of the principle rules the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation : For the purposes of Rule 6.3 above, the expression "under the State Government" shall include, and be deemed to have always included, the State Government as it pre-existed prior to 1st November 2000 in relation to area now comprised in the State of Chhattisgarh."

Saving.

4. Not withstanding anything contained in the Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002, any action taken, proceedings accomplished, or anything done, under the provisions of rule 6.3 of the said rules, shall be deemed to have been done or carried-out under the provisions of this ordinance.

Raipur :
Dated 22-7-2002

(Dinesh Nandan Sahaya)
Governor,
Chhattisgarh State.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.